International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY(IJARETY)

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 1.982| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 2, Issue 3, May 2015 ||

भारत में राजनीतिक सहभागिता और महिला

Dr. Sucheta Gupta

Lecturer, Department of Political Science, Government College, Bibirani, (Alwar) Rajasthan, India

शोध आलेख का सार: भारत एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य है। इसलिए विधि की समानता के सिद्धान्त को अपनाया गया है। संविधान के द्वारा राजनीति में स्त्री-पुरूष को समान अधिकार प्रदान किया गया है। यह अलग बात है कि भारत की राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है। संविधान ही नहीं, संविधानवाद की भी यह माँग है कि भारतीय समाज, राजनीति तथा मानव के हर क्षेत्र में महिलाओं को व्यावहारिक स्तर पर समान भागीदारी उपलब्ध कराई जाये। भारतीय राजनीति में महिलाओं की उचित भागीदारी ने केवल जेंडर जस्टिस को स्थापित करेगा, बल्कि राजनीति में प्रेम, विश्वास विनम्रता, सदृश्यता और परस्पर सौहार्द को भी स्थापित करेगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि महिलाएँ शांतिप्रिय, सहृदयी और विनम्र होती है। राजनीति के नारीवाद विचारकों ने भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हेतु अनिवार्य बताया है। इसी परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया गया है तथा संघीय विधायिका और राज्य विधायिका में महिला आरक्षण की माँग की जाती है। भारत की राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने की आवश्यकता है तथा ऐसा करना भाररतीय लोकतंत्र की प्रभावशीलता हेतु भी अनिवार्य प्रतीत होता है।

मूल शब्दः लोकतंत्र, नारीवाद, सशक्तिकरण, आरक्षण, संविधानवाद, जेंडर जस्टिस, राजनीतिक भागीदारी, स्थानीय शासन, राजनीतिक संस्कृति तथा कानून का शासन आदि।

I. प्रस्तावना

प्राचीन भारत में वैदिक काल तक महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक रही है, लेकिन उसके बाद से उनकी स्थिति में हास की प्रक्रिया निरन्तर दृष्टिगोचर होती है। वैदिक युग में तो भारतीय समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीति, सम्पत्ति व उत्तराधिकारी के साथ अन्य अधिकार प्राप्त थे अर्थात् वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अदिति, लोपमुद्रा, गार्गी, मैत्रयी, घोष और अपाला जैसी असाधारण प्रतिभाशाली महिलाएं थी।' उत्तर वैदिक काल के धर्म सूत्रों में बाल विवाह का निर्देश दिया गया, जिनके फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति लगातार दुर्बल होती गई। तीसरी शताब्दी से लेकर ।। वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक धर्मशास्त्र काल में महिला का मतलब याचिका, अबला, सेविका व निर्बला बन गया। सल्तनत तथा मुगल काल में महिलाओं की स्थिति और बद्तर होती गई, विशेष हिन्दू महिलाओं को मुस्लिम आतातायियों के कारण पशु सदृश हो गई। ब्रिटिश हुकूमत के बाद भारत में सामाजिक और धर्म सुधार आन्दोलन के कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार की शुरूआत हुई, जो भविष्य की राजनीतिक सहभागिता के जन्म होने का प्राथमिक कारण बना।

भारत की महिलाओं की राजनीतिक यात्रा की शुरूआत वास्तविक रूप में ब्रिटिश काल के उत्तरार्द्ध में हुई। प्रारंभ में भारत की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। उन्हें मताधिकार दिलाने के लिए 1917 ई० में डॉ० एनी बेसेन्ट के निर्देशन में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया। सम्मेलन की ओर से श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में एक महिला प्रतिनिधि मंडल माँटेग्यू से मिला, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम, 1919 ई० में यह प्रावधान किया गया कि जो प्रान्त चाहे वह महिलाओं को मताधिकार दे सकता है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 में केन्द्रीय प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। उल्लेखनीय है कि राजनीति में महिलाओं ने राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही प्रवेश किया था। महिला मंडल बनाये गये। मंडलों ने घर-घर जाकर महिलाओं में देश के प्रति स्वाधीनता एवं राजनीतिक अधिकार के विषय में चेतना जगाई। श्रीमती एनी बेसेन्ट और श्रीमती सरोजिनी नायडू के अलावा श्रीमती कमला नेहरू, श्रीमती अरूणा आसफ अली, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित इत्यादि ने आजादी में अपना योगदान दिया।'

भारत की राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं का योगदान आजादी के बाद क्रमशः बढ़ता गया। भारत का संविधान सभा के गठन में कुल 17 महिलायें चुनी गयी, जो विभिन्न प्रान्तों से थी। बेगम ऐजाज रसूल, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती कमला चौधरी तथा श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रान्त (यू.पी.) से, श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर सी.पी. एवं बरार प्रान्त से, श्रीमती मालती चौधरी उड़ीसा से, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, श्रीमती शम्भू स्वामीनाथन तथा श्रीमती हसायणी बेलादाहरण मद्रास से. श्रीमती रेणका, श्रीमती लीला राय तथा बेगम शस्ता इकराम उल्ला सोहरावर्दी बंगाल प्रान्त से, बेगम जहाँआरा शाहनबाज पंजाब से, सुश्री मस्कारीन ट्रावनकोर रियासत से एवं श्रीमती सरोजनी नायडू ने बिहार प्रान्त से संविधान सभा में प्रतिनिधि किया था। इन महिलाओं ने 1929 में राज्यों की विधान परिषदों एवं विधान सभाओं की सदस्यों के रूप में चुनी गई थी। भारत की राजनीतिक सहभागिता में इन सभी की भूमिका सराहनीय रही। बेगम ऐजाज रसूल उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में उप-सभापति तथा नेता विरोधी

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 1.982| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 2, Issue 3, May 2015 ||

दल थी। श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश में पंत मंत्रिपरिषद् की सदस्यता, 1962 ई० में महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर तथा विदेश में राजदूत नियुक्त हुई थी। श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर प्रथम आम चुनाव में 1952 में लोक सभा तथा राज्य सभा के लिए क्रमशः हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब से सदस्या चुनी गई। सुश्री मेस्कनीन ट्रावनकोर में 1949-50 में स्वास्थ्य एवं ऊर्जा मंत्री रहीं। श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर केन्द्र में स्वास्थ्य और संचार मंत्री के पद पर रही।

वर्ष 1952 में प्रथम स्वतंत्र लोकसभा से तेरहवीं लोकसभा चुनावों में महिलाओं की बेहतर स्थिति रही। हालांकि कालान्तर में लोकसभा में महिलाओं की संख्या प्रभावशाली नहीं रही, परन्तु उनकी सफलता दर यानी चुनाव प्रत्याशियों में से चुने जाने वालों का प्रतिशत पुरुषों से कहीं अधिक रहा है। प्रथम लोकसभा में 22 महिलायें विजयी रही, जोकि 4.4 प्रतिशत है। द्वितीय लोकसभा में 27 महिलायें विजयी हुई, जो 5.4 प्रतिशत है। तृतीय लोकसभा में 34 महिलायें विजयी घोषित हुई, जोकि 6.7 प्रतिशत है। चतुर्थ लोकसभा में 31 महिलायें विजयी रही, जो 5.9 प्रतिशत है। पंचम् लोकसभा में 22 महिलायें विजयी रही जो 4.2 प्रतिशत है। षष्टम् लोकसभा में 19 महिलायें विजयी रही जो 3.4 प्रतिशत है। 1 सप्तम लोकसभा में 28 महिलायें हुई जो 5.1 प्रतिशत है। अष्टम् लोकसभा में 44 महिलायें विजयी रही, जों 8.1 प्रतिशत है। नवम् लोकसभा में 28 महिलायें विजयी रही, जो 5.29 प्रतिशत है। यह संख्या दसवीं लोकसभा में 39 पहुँच गई, जो कि 7.07 प्रतिशत है। ग्यारहवीं लोकसभा में 38, बारहवीं लोकसभा में 43 एवं तेरहवीं लोकसभा में 49 महिला सदस्य निर्वाचित हुई।" चौदहवीं में 44, पंद्रहवीं में 59, सोलहवीं में 66 निर्वाचित हुई।"

15 अगस्त, 1947 को पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, जिसमें श्री नेहरू प्रधानमंत्री थे। उनके मंत्रिमंडल में श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर मंत्री रहीं। 1952 में प्रथम लोकसभा के गठन के बाद जो सरकार बनी उसमें भी श्रीमती राजकुमारी अमृत कौन 17/04/1957 तक मंत्री रहीं। द्वितीय आम चुनाव के बाद के मंत्रिमंडल का गठन 1957 में हुआ, जिसमें श्रीमती लक्ष्मी एन. मेनन एवं श्रीमती बायलेट अल्वों उपमंत्री के रूप में रही तथा बिहार से 02/04/1958 को श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा को उपमंत्री बनाया गया। श्रीमती इंदिरा गाँधी प्रथम बार श्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में 02/07/1964 से 11/01/1966 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्री रही। शास्त्री जी के निधन के बाद श्रीमती गाँधी (24/03/1977 से 13/01/1980 छोड़कर) लगातार 14 वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री के पद पर रहीं तथा अपने शासन काल में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित किया।

उल्लेखनीय है कि स्वाधीनता के पश्चात् श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सरोजनी नायडू, मदर टरेसा, श्रीमती इंदिरा गाँधी इत्यादि महिलाओं ने अपने व्यक्तित्व व कृतित्व से देश को गौरवान्वित किया। मदर टरेसा ने दूसरों के जीवन को सुन्दर बनाने में अपना सम्पूर्ण जीवन न्योछावर कर दिया। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग "महासभा में अध्यक्ष पद सुशोभित कर भारत का गौर बढ़ाया। राजनीतिक के क्षेत्र में श्रीमती इंदिरा गाँधी की कूटनीति व दूरदर्शिता की कोई मिसाल नहीं। राजनीतिक दलों में भी महिलाओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से देश की राजनीतिक को प्रभावित किया है जिसमें प्रमुख रूप से श्रीमती इंदिरा गाँधी, श्रीमती सोनिया गाँधी, सुश्री ममता बनर्जी, श्रीमती मारग्रेट अल्वा, श्रीमती शीला दीक्षित, श्रीमती गीता मुखर्जी, श्रीमती मोहनसिना किदवई, सुश्री सरोज खपर्डे, श्रीमती सरोजनी महेषी, श्रीमती सुशीला नैयर, श्रीमती नंदनी सतपथी, श्रीमती कृष्णा शाही, श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, सुश्री कुमुद बेन जोशी, श्रीमती मीरा कुमार, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती राबड़ी देवी, सुश्री गिरजा व्यास, श्रीमती मोहिनी देवी आदि है। श्रीमती नेजमा हेपतुल्ला विगत दस वर्षों से राज्य सभा के उप-सभापति के पद पर कार्यरत है।" संसद के अतिरिक्त विधान सभाओं में भी महिलायें महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कतिपय राज्यों में महिलाओं ने मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है जिनमें श्रीमती सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी। सुश्री मायावती, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रही। सुश्री जयललिता, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री तथा श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री है।

भारत की राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं की भागीदारी, भूमिका अथवा योगदान स्थानीय प्रशासन से लेकर संसद तक देखा जा सकता है। स्थानीय प्रशासन में 73वाँ तथा 74वाँ संविधान संशोधन के बाद महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देकर भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। वर्ष 2009 में स्थानीय निकायों में महिलाओं की भूमिका के विस्तार हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। भारत की विधायिका में महिलाओं की भूमिका में बढ़ोतरी हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण की बात जरूर की जाती रही है, परन्तु अबतक इस दिशा में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। भारत में महिलाओं की राजनीति सहभागिता कम है, परन्तु उतरोत्तर रूप में विकास हो रहा है। महिलाओं की राजनीति में वास्तविक भूमिका लोक सभा में उनके प्रतिनिधि के सन्दर्भ में देखा जा सकता है। उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका उतरोत्तर रूप आगे बढ़ती रही है। लेकिन अभी भी स्पष्टतः विश्व के अन्य देशों के समान भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बहुत ही कम है।

II. अध्ययन का उद्देश्य

शोध आलेख में उद्देश्य को केन्द्रीय महत्त्व प्राप्त है। मेरे प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य "भारत में राजनीतिक सहभागिता और महिला" विषय का अवलोकन करना है। इस शोध आलेख का उद्देश्य स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के विकास के क्रम को समझना भी है। भविष्य में भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका का अनुमान लगाना भी प्रस्तुत शोध का उद्देश्य है।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 1.982| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 2, Issue 3, May 2015 ||

III. परिकल्पना

प्रस्तुत शोध आलेख का शीर्षक "भारत में राजनीतिक सहभागिता और महिला" विषय है। प्रस्तुत शोध आलेख के अन्तर्गत निम्नलिखित परिकल्पना अपेक्षित है:

1. भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका से महिला समाज की प्रस्थिति का व्यापक परिप्रेक्ष्य में अवलोकन आसान होगा।
2. भारत की राजनीतिक गतिविधि में महिलाओं की भूमिका में बढ़ोत्तरी के अध्ययन से भविष्य की भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका कब पुरूषों के बराबर होंगी, इसकी भी परिकल्पना अपेक्षित है।
3. "भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता" के आधार पर नारीवाद तथा महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में वैज्ञानिक निर्णयन भी अपेक्षित है।

IV. साहित्य सर्वेक्षण

भारत में राजनीतिक सहभागिता और महिला विषय पर अबतक अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन सम्पन्न हुए है। इस विषय पर महत्वपूर्ण अध्ययन में कुछ साहित्य का सामान्य अवलोकन भी अनिवार्य प्रतीत होता है। ऐसा करना शोध आलेख लेखन को सार्थकता प्रदान करता है। वस्तुतः शोध आलेख को प्रभावी बनाने के लिए हमने निम्नलिखित प्रमुख साहित्य का सर्वेक्षण किया है:

1. डॉ० अमरजीत सिंह नारंग की पुस्तक 'भारतीय शासन एवं राजनीति, गीतांजली पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1998
2. डॉ० जे०सी० जौहरी और डॉ० आर०के० पुखार, भारतीय शासन और राजनीति, विशाल पब्लिकेशन्स जालन्धर, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण, वर्ष 1988
3. डॉ० जयप्रकाश शर्मा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, प्रथम संस्करण, 2000 ई०
4. मदोदर रावत, भारत की राजनीति और महिला, रावत पब्लिकेशन्स हरियाणा, 2001
5. डॉ० सुभाष काश्यप और विश्व प्रकाश गुप्त, संसद का इतिहास, भाग 1 और भाग 2. राधा पब्लिकेशनस, नई दिल्ली. प्रथम संस्करण 2005, नवीन संस्करण, 2009

V. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध आलेख के लेखन में ऐतिहासिक एवं वस्तु-विश्लेषणात्मक पद्धति का सहारा लिया गया है। शोध आलेख की तैयारी में पूर्व का साहित्य सर्वेक्षण का अवलोकन किया गया है।

VI. निष्कर्ष

शोध आलेख के विवेचनोपरान्त यह कहा जा सकता है कि भारत में राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं की भूमिका बहुत ही कम रही है तथा उतरोत्तर रूप में इसमें वृद्धि हो रही है। भारतीय राजनीति के स्थानीय सतर की बात की जाये तो महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे उनकी भागीदारी 50 प्रतिशत अथवा उसे थोड़ी अधिक हो गयी है। राज्यों की राजनीति में कल तमिलनाडु और बिहार की राजनीतिक नेतृत्व जयललिता तथा राबड़ी देवी के द्वारा किया गया। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। भारत में महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए विधायिका में एक-तिहाई आरक्षण की भी बात की जाती रही है, जो आज तक व्यवहार में नहीं आया है। लोकतांत्रिक समाज और लोकतांत्रिक राजनीति के लिए महिलाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाये। भारतीय राजनीति में महिलाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी भी आवश्यक है।

सन्दर्भ-ग्रन्थ

1. मित्तल, डॉ० ए०के०, भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, सिन्धु सभ्यता से 2006 ई० तक, 2008 सहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ 58
2. कुमार, डॉ० अशोक, भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संविधान, साहित्य भवन पी. एण्ड डी. आगरा, पृष्ठ 53
3. तथैव, पृष्ठ 56
4. तथैव, पृष्ठ-56
5. कश्यप, डॉ० सुभाश, विश्व प्रकाश गुप्त, संसद का इतिहास-1
6. तथैव।
7. तथैव।
8. जैन, सी०के०, ओमेन पार्लियामेंटरियन्स इन इंडिया, लोक सभा सचिवालय।
9. शर्मा, राजेन्द्र प्रसाद, भारतीय राजव्यवस्था, स्पेक्ट्रम, पृष्ठ 384

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 1.982| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 2, Issue 3, May 2015 ||

10. गोस्वामी, एन०के० भारत में संसदीय व्यवस्था, आविष्कार प्रकाशन, पृष्ठ 83
11. तथैव
12. जैन एवं फड़िया, भारतीय शासन एवं राजनीति साहित्य भवन, पृष्ठ-201
13. शर्मा, राजेन्द्र प्रसाद, भारतीय राजव्यवस्था स्पेक्ट्रम बुक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली, 2012, पृष्ठ-383 तथा 384